

12.10.21.

बकील
बार-बार आवाज दिलाई गई, आवाज दिलवाये जाने के बावजूद न अपीलान्ट और न अधिवक्ता अपीलान्ट उपाखित आये। अतः पत्रावली अदम दजरी, अदम पैरवी में रवारिज की जाती है। पत्रा फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जादा कारखिल दफतर ले।

(रि. फ़ैसल.)

रु. फ़ैसल अधिकारी,
पदेम
राजस्थान नदीन प्राधिकारी
जयपुर नदीन-धीनपुर